

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/माध्य/अ-4/रामावि/21306/2017-18

दिनांक:- 08.02.19

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)माध्यमिक
जालौर।

विषय: राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खाण्डादेवल, ग्राम पंचायत-गजीपुरा, पं.स.-जसवन्तपुरा, जिला-जालौर को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

प्रसंग: शासन का पत्रांक-प0 11(1) शिक्षा-1/2014-15, पार्ट जयपुर दिनांक 08.02.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के प्रासंगिक आदेश की पालना में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खाण्डादेवल, ग्राम पंचायत-गजीपुरा, पं.स.-जसवन्तपुरा, विधानसभा क्षेत्र-गिनमाल, जिला-जालौर (यू-डाईस कोड 08180703701) को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की निम्न शर्ताधीन स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

शर्त:-

1. विद्यालय क्रमोनयन सत्र 2018-19 से प्रारंभ होगा।
2. स्वीकृति के वर्ष सुविधानुसार कक्षा 09 व 10 एक साथ प्रारम्भ की जा सकती है।
3. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से मान्यता हेतु निर्धारित 04 पत्रों में सूचना की पूर्ति करवाकर मान्यता प्राप्त करने की कार्यवाही करावें।
4. विद्यालय के क्रमोन्नत आदेश जारी करने से पूर्व विद्यालय का नाम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला व यू-डाईस कोड आदि की जांच कर ही आदेश जारी करें।

— . ह . —

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. संयुक्त सचिव(जीबी), माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार)।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. उप शासन सचिव, शिक्षा (गुप-1) विभाग को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
6. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर
7. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
9. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।
10. संभागीय संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, पाली।
11. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, जालौर।
12. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान, जसवन्तपुरा (जालौर)।
13. अनुभाग अधिकारी संस्थापन-एबी/संस्थापन-एफ/बजट/कम्प्यूटर/आर्श वि./शाला दर्पण।
14. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ-1 को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।



उपनिदेशक(माध्यमिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/माध्य/अ-4/रामावि/21306/2017-18

दिनांक : 08.02.19

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)माध्यमिक
जालौर।

विषय: राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पथमेडा, ग्राम पंचायत-दाता, पं.स.-सांचौर, जिला-जालौर को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

प्रसंग: शासन का पत्रांक- प0 11(1) शिक्षा-1/2014-15, पार्ट जयपुर दिनांक 08.02.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के प्रासंगिक आदेश की पालना में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पथमेडा, ग्राम पंचायत-दाता, पं.स.-सांचौर, विधानसभा क्षेत्र-सांचौर, जिला-जालौर (यू-डाईस कोड 08180520101) को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की निम्न शर्ताधीन स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

शर्त:-

1. विद्यालय क्रमोनयन सत्र 2018-19 से प्रारंभ होगा।
2. स्वीकृति के वर्ष सुविधानुसार कक्षा 09 व 10 एक साथ प्रारम्भ की जा सकती है।
3. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से मान्यता हेतु निर्धारित 04 प्रपत्रों में सूचना की पूर्ति करवाकर मान्यता प्राप्त करने की कार्यवाही करावें।
4. विद्यालय के क्रमोन्नत आदेश जारी करने से पूर्व विद्यालय का नाम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला व यू-डाईस कोड आदि की जांच कर ही आदेश जारी करें।

ह. —

(नथमल डिडेल)

आई.एस.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. संयुक्त सचिव(जीबी), माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार)।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. उप शासन सचिव, शिक्षा (गुप-1) विभाग को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
6. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।
10. संभागीय संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, पाली।
11. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, जालौर।
12. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान, सांचौर (जालौर)।
13. अनुभाग अधिकारी संस्थापन-एबी/ संस्थापन-एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./शाला दर्पण।
14. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ-1 को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

8/2/19

उपनिदेशक(माध्यमिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर